AGRICULTURE RESEARCH SUB STATION
(S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY)
Kumher,Distt. Deeg (Raj.) - 321201

Prof. S.R. Dhaka
Officer Incharge

Mobile No.: 9414042027
Email: incharge.arss.kumher@sknau.ac.in

No. F. /Estt./ARSS/K/2024/52-55 Dated: 25.06.2024

सीमित निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर पर फार्म उपयोग हेतु रोटावेटर – 1 नग की आवश्यकता है। उपरोक्त रोटावेटर की अनुमानित लागत 1.40 लाख है। इसकी आपूर्ति हेतु PAN/TAN/लाईसेन्स धारक फर्म/एजेन्सी/अनुभवी फर्म/अधिकृत व्यवहारियों से सीमित निविदा आमंत्रण की तिथि से 11.07.2024 प्रात 11.00 बजे तक प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। सीमित निविदा प्रस्ताव दिनांक 11.07.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त कर दिनांक 11.07.2024 को ही दोपहर 1.00 बजे निविदाताओं के समक्ष खोली जायेगी। इच्छुक सीमित निविदा उक्त तिथियों के अनुसार अपना सीमित निविदा प्रस्ताव विश्वविद्यालय की बेवसाइट www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके भी प्रस्तुत कर सकते है। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

Officer Incharge
प्रभारी अधिकारी
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर जयपुर।
2. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर जयपुर।
3. कमेटी कन्वीनर/सदस्य/लेखाशाखा/..
4. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर जयपुर को प्रेषित कर लेख है सीमित बोली सूचना एवं प्रपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sknau.ac.inवhttp://sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करावे।
5. मैसर्स ....
6. सूचना बोर्ड श्रीमान अधिष्ठाता प्रशासनिक कार्यालय भरतपुर।
7. सूचना बोर्ड श्रीमान प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, कुम्हेर, भरतपुर।
8. सूचना बोर्ड श्रीमान सचिव, पंचायत समिति कुम्हेर, भरतपुर।
9. रक्षित फाइल

Officer Incharge
प्रभारी अधिकारी
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

AGRICULTURE RESEARCH SUB STATION
(S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY)
Kumher,Distt. Deeg (Raj.) - 321201

Prof. S.R. Dhaka
Officer Incharge

Mobile No.: 9414042027
Email: incharge.arss.kumher@sknau.ac.in

No. F. /Estt./ARSS/K/2024/52-55 Dated:25.06.2024

ट्रैक्टर रोटावेटर हेतु सीमित निविदा प्रपत्र

सीमित निविदा जमा करने की अंतिम तिथि – 11.07.2024 समय : दोपहर 12:00 बजे तक

अनुमानित लागत रू 1.40 लाख रूपये निविदा प्रपत्र शुल्क 200/– रू0 (डी0डी0/ बैंकर चैक द्वारा)

बजट हैडः – **NP 2I ARSS Kumher** वित्तीय वर्षः– 2024–25

1. ट्रैक्टर रोटावेटर के क्रय हेतु सीमित निविदा प्रपत्र।
2. सीमित निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता एवं टेलीफोन नं0 लैण्डलाईन, मोबाइल व ई–मेल सहित...
....
....
....
3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एंव मोबाइल नम्बर.....................
....
....
4. किसको संबोधित किया गया–**प्रभारी अधिकारी, कुम्हेर** (श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर) निविदा सूचना संदर्भ – 52–55 दिनांक – 25.06.2024
5. सीमित निविदा सूचना सदंर्भ एफ0 (LT)/**STORE/ARSS/Kumher/24/52-55** दिनांक – 25.06.2024
6. सीमित निविदा प्रपत्र के साथ बिक्री कर पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा बिक्रकर प्रमाण पत्र तथा बिक्री कर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न हैं।
7. सेवा कर पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न हैं, यदि लागू हो ।
8. सीमित निविदा दाता पंजीकृत व्यवसायिक हो।
9. हम, **प्रभारी अधिकारी, कुम्हेर** द्वारा जारी की गई सीमित निविदा सूचना संख्या – 52–55 दिनांक – 25.06.2024 में वर्णित शर्तों से तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में दी गई उक्त सीमित निविदा

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। (इनके सभी पृष्ठ/पृष्ठों पर उनसे उल्लेखित शर्तो को हमारे स्वीकार किए जाने के प्रमाण स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये है)।

10. विनिर्माता/डीलर/अधिकृत विक्रेता आदि को घोषणा प्रपत्र 'ब' संलग्न है।

11. सीमित निविदा फार्म के साथ गत तीन वर्षो में ब्लेक लिस्ट नही होने का प्रमाण पत्र 'स' संलग्न है।

12. सीमित निविदा फार्म के साथ **FALL CLAUSE** प्रमाण प्रपत्र 'द' संलग्न है।

नोटः– निविदा के साथ सीमित निविदा प्रपत्र, बिक्री कर पंजीकरण व चुकता प्रमाण तथा विनिर्माता/डीलर/अधिकृत विक्रेता के घोषणा पत्र आदि के अभाव में सीमित बोली निरस्त की जा सकेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर एवं दिनांक

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

ट्रैक्टर रोटावेटर कय हेतु सीमित निविदा प्रारूप व अन्य शर्ते :–

1. समिति निविदा सूचना में प्रकाशित शर्ते राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम–68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की शर्ते निविदा का भाग मानी जाएगी। ट्रैक्टर रोटावेटर की आपूर्ति एवं स्थापना श्रीमान प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर पर करनी होगी।
2. सीमित निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'अ' में ट्रैक्टर रोटावेटर हेतु बोलीदाता अपनी बोली दर्शाए। कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र के प्रपत्र के प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मान्य नही होगी।
3. सीमित निविदा मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावेगी। जिस पर ट्रैक्टर रोटावेटर के कय के लिए सीमित निविदा अंकित होना चाहिए।
4. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल का भुगतान कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र द्वारा फर्म को आदेशित ट्रैक्टर रोटावेटर के संतोषप्रद होने की पुष्टि संबधित कार्यालय कमेटी द्वारा प्रस्तुत करने पर किया जावेगा।
5. सीमित निविदा दाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा। प्रत्येक कार्यादेश/क्रयादेश का कार्य/आपूर्ति संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर एवं विश्वविद्यालय में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
6. सीमित निविदा दाता सीमित बोली प्रपत्र की शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा सीमित निविदा प्रस्ताव के अन्तिम पृष्ठ पर सभी शर्तो को सम्पूर्ण को स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
7. सीमित निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की काट छांट व ओवर राईटिंग नही होनी चाहिए। काट छांट/ओवर राईटिंग होने पर बोली रदद की जा सकेगी।
8. किसी भी सीमित निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार श्रीमान प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर को होगा।
9. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नही करने/आपूर्ति नही करने पर राज्य सरकार के सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एंव नियम 2013 के अनुसार राशि वसूल की जा सकेगी।
10. कार्यादेश/क्रयादेश के अनुसार ट्रैक्टर रोटावेटर की आपूर्ति का कार्य में स्थापना 15 दिवस में करना होगा।
11. सफल सीमित निविदा दाता के रूप से ट्रैक्टर रोटावेटर की आपूर्ति करने में असफल रहने अथवा कार्य संतोषजनक नही करने पर श्रीमान प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पैनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य क्रय अन्य फर्म से कराकर सकेंगे।
12. सीमित निविदा प्रपत्र दिनांक 11.07.2024 को 11.00 बजे तक श्रीमान प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर के कार्यालय में प्राप्त किये जाकर स्वीकार किये जायेंगे एवं दिनांक 11.07.2024 को दोपहर 1.00 बजे उपस्थित बोली दाताओं के समक्ष खोले जायेंगे। निर्धारित दिनांक व समय पश्चात सीमित निविदा प्रपत्रों पर विचार नही किया जायेगा।
13. **वित्तीय निविदा में अंक गणितीय त्रुटियों का सुधार** –बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सार भूत रूप से प्रत्युत्तरदायी निविदाओं में अंक गणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी अर्थात्:–

(क) इकाई मूल्य औरं कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि निविदा मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

सुधार किया जायेगा;

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा।

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंक गणितीय त्रुटि से संबंधित नहो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

14. **सत्यनिष्ठा संहिता** –उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति–

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत ,इनाम या दानया प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभि प्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशयसे दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखा परीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियम भंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

15. **हित का विरोध** –

(1)किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्ष कार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2)उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है:–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां , उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए‹ यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उस में सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही निविदा प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदा कार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने निविदा प्रक्रिया के उपापन की विषय वस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और निविदा प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था ,जिसने उपापन की विषय वस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और न हीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

16. **उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण** –प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

1 **अपीलः**–

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देषों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को,जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिष्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन तक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप **(प्रपत्र –'व')**में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दषा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी निविदा का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्ति युक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्षक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथा स्थिति, निविदा दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तद्नुसार आदेश पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेष से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेष की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकरी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्षक सिद्धन्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेष पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवष्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

1. **अपील का प्रारूप** –(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप **(प्रपत्र –'व')** में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2)प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3)प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथा स्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

2. **अपील फाइल करने के लिए फीस** – (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रति देय होगी।

(2)फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

3. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया** –(1)प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथा स्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथा स्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रतिनिः शुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

17. बोली दाता को यह लिखकर देना होगा कि उसके द्वारा राजस्थान राज्य निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को सामग्री की आपूर्ति नही की जायेगी। इसके लिए **PRICE FALL CLAUSE** प्रमाण पत्र 'द' संलग्न करना होगा।

18. उपर्युक्त शर्तो के अतिरिक्त अन्य शर्ते निविदा एंव सामान्य वित्त एंव लेखानियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता, अधिनियम, 2012, एवं अधिनियम 2013 एवं वित्तीय विभाग, राजस्थान सूचना की दिनांक 19.11.2015 के प्रावधान अनुसार लागू होगी।

19. किसी भी उत्पन्न विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, भरतपुर राजस्थान होगा।

प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

मैने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एंव समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेंगे।

प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

ट्रेक्टर रोटावेटर का स्पेशिफिकेशन

Name of Item		Specifications	
Project Name:	:	**NP 2I ARSS Kumher (Bharatpur)**	
Name of Item	**S.No**	**Parts**	**Technical specification**
1. Tractor Rotavator	1	A. Rotavator 2.05 meter (7 Feet)	Width – 2130/2330 (mm)
	2		Height – 37'' (940mm)
	3		Length – 84'' (2137mm)
	4		Working Width – 1870/2070 (mm)
	5		Working depth – 6'' (150mm)
	6		HP required – 50-60HP
	7		Number of Blades – 54/60
	8		PTO Speed (RPM) – 239/266
	9		Rotor Shift – 174/194
	10		Weight – 402/423 KG
	11		Gear Box-Multi speed
	12		Guarantee period-2 years replacement guarantee of gear box.
	13	Special Features for Rotavator	Heavy duty pipes, tampered blades made of high quality steel, nuts & bolts made of high tensile steel, every part with computerized CNC Machine.

Terms and Conditions:

1. Free delivery and installation.
2. Complete demonstration and training for operation.
3. The supplier should enclose the technical compliance statement against our technical specifications clearly mentioning for each point. The statement should be supported by relevant literature.
4. The company should mention the make & model name/number of the quoted equipment and submit the technical brochure of the quoted model in the technical bid along with compliance sheet as per technical specifications.
5. Bidders are requested to send with bid, printed descriptive literature of the quoted items.
6. Installation of equipment should be at ARSS Kumher (Bharatpur) free of cost.
7. For all agriculture equipments, the supplier will have to install and fitting of item and give maintenance service on call for 2 years, if required.
8. All equipments FOR at ARSS Kumher (Bharatpur).
9. The successful bidder has to demonstrate the working of equipment at the site of installation.
10. Delivery period: Within 15 days from the date of issue of this supply order.
11. Place of delivery: ARSS Kumher (Bharatpur) Rajasthan
12. Payment shall be made within 30 days after delivery, installation and training, if any, of the goods in satisfactory condition.
13. The equipment shall be supplied, installed as per the specifications agreed by you and again being enclosed in schedule of rates Packaging and forwarding. Excise duty, Sales tax, Entry tax, if any, transportation including insurance and installation charges are inclusive in the approved FOR rates.
14. Manufacturer/company should have ISI certification.
15. Supply order may be placed as per office need & required.
16. Technical bid & Financial bid may be submitted sprate envolups with relevant papers.
17. Financial bid may be opened after success bidder in technical bid.

1. Credibility: Similar installation of this kind should have been made by company in recognized research institute/ University in Rajasthan and provide the user's list for the same. Warranty: Instruments should be quoted with two years warranty and should quote AMC offer, thereafter as mentioned in the financial BID.

General Features:

i. If bidder aupplied to or have rate contract of quoted items with any other Govt. institutions within one year, he may be asked to provide copies of purchase orders, invoices and rate contract.

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर

एफ0 (LT)/STORE/ARSS/Kumher/24/52-55 दिनांक: 25.06.2024

प्रपत्र – अ

वित्तीय निविदा

सेवा में,

श्रीमान् प्रभारी अधिकारी,
कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र,
कुम्हेर।

विषयः– एक ट्रेक्टर रोटावेटर सप्लाई करने हेतु अनुमोदित दर प्रस्तुत करने बावत्।

1. संवेदक अथवा फर्म का नामः– ....
2. स्थाई पताः– ....
   ....
3. टेलीफोन नं0...मोबाइल नं0..
4. टिन/जी.एस.टी. नं0: ....(फोटोप्रति संलग्न करें)
5. पैन नं0:–..(फोटोप्रति संलग्न करें)
6. आई डी0 नं0 (वोटर आईडी/ आधार कार्ड नं0आदि):..........................(फोटोप्रति संलग्न करें)
7. निविदा का विवरणः–

एक ट्रेक्टर रोटावेटर सप्लाई करने हेतु विवरण निम्न प्रकार :–

क्र0 सं0	विवरण	राशि प्रति रोटावेटर	कुल योग (समस्त कर सहित)
1.	एक ट्रेक्टर रोटावेटर (7 Feet 54 Blades)		
2.	एक ट्रेक्टर रोटावेटर (7 Feet 60 Blades)		
कुल राशि शब्दों में:–			

8. वारंटी समय..।
9. सर्विस मुहैया कराने वाले एजेन्सी एवं स्टेशन का स्थानः...।
10. मैं/हम सभी नियम व शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

मैं / हम प्रमाणित करते है कि मैनें / हमने इस निविदा में दी गई सभी नियम व शर्तो से सहमत हूँ। यह निविदा मैनें / हमनें नियम व शर्तो को पढ़कर हस्ताक्षरशुदा जमा करा रहा हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता
(नाम.....................................)
पताः......................................
....

मोबाईल नं0:............................

प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

प्रपत्र –'ब'

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/ सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त (Forfeit) किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

प्रपत्र –'स'

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन कृषि उपकरणों की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में आपूर्ति Sub-Standard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

प्रपत्र – 'द'

Price Fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन विभिन्न प्रकार के कृषि यन्त्रों की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायत्तशाषी संस्था आदि को विभिन्न प्रकार के कृषि यन्त्रों की आपूर्ति की जाती है तो तद्नुसार ही कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर जिला डीग से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

प्रभारी अधिकारी / Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

प्रपत्र 'य'

Affidavit

(on non-judicial stamp paper of ` 10/-)

I.......................................S/o..Aged .... yrs, residing at .... Proprietor/Partner/Director of M/s .... do hereby solemnly affirm and declare that

(a) My/our above noted enterprise M/s .... has been issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the District Industries Center................................The acknowledgment No. is ....Dated .... and has been issued for manufacture of following items:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(b) My/our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department andthat the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture the above noted items.

Signature of proprietor /Director
Authorized Signatory with Rubber
Stamp and date

Verification

I........................ S/o ....Aged .... yrs residing at .... Proprietor / Partner/ Director of M/s .... verify and confirm that the contents at (a), (b) and (c) above are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed there in. So help me God.

Deponent

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

प्रपत्र 'ल'

FORM NO. 1

(On Firm's letter head)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

[See rule 83 of RTPP and GCC No.-23]

Appeal No................ of.....................

Before the... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official Address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent (S):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Ground of appeal:
   ....
   ....
   .... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:...
   ....
   ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)